

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तृतीय, जौनपुर।

मुकदमा संख्या-240 / 2022

राजेन्द्र प्रसाद यादव—**बनाम**—सुरेन्द्र प्रताप यादव व अन्य।

दिनांक-20.09.2022

आवेदक द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-155(2) द0प्र0सं0 प्रस्तुत कर याचना की गयी है कि एन0सी0आर0 **संख्या-61/ 2022** के प्रकरण में विवेचना हेतु आदेश पारित किया जाय।

अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपराध उपरोक्त असंज्ञेय है व थाने की आख्या अनुसार अन्वेषण नहीं हो रहा है, इन परिस्थितियों में एन0सी0आर0 उपरोक्त की विवेचना कराया जाना न्यायोचित है।

-आदेश-

सम्बन्धित थाना प्रभारी को आदेशित किया जाता है कि एन0सी0आर0 **संख्या-61/ 2022** की विवेचना विधि अनुसार कराना सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तृतीय,
जौनपुर।